करेंट अफेयर्स

2024

अनुक्रम

उत्तराखंड **3**

- ‘खाकी में स्थितप्रज्ञ’ रिलीज़ 3
- रोज़गार वृद्धि में उत्तराखंड अग्रणी 3
- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 1822 की क्रांति के शहीदों को किया सम्मानित 4
- उत्तराखंड में ततैया के हमले से कई लोगों की मौत 5
- हमले के बाद उत्तराखंड साइबर सुरक्षा समीक्षा 6
- चौखंबा III पर पर्वतारोहियों का बचाव 7
- उत्तराखंड में 6,500 फीट की ऊँचाई पर देखा गया मोर 8
- उत्तराखंड में जलविद्युत परियोजना को हरित मंज़ूरी 9
- उत्तराखंड में UCC का क्रियान्वयन 10
- दशहरे पर मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं का अनावरण किया 11
- रूपकुंड झील: जलवायु परिवर्तन के कारण संकट में 12
- उत्तराखंड में चारधाम परियोजना 13
- ‘स्पिट जिहाद’ के लिये उत्तराखंड सरकार के दिशानिर्देश 14
- उत्तराखंड में UCC 15
- उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल 2024 17
- देहरादून में लेखकों का गाँव 18
- उत्तराखंड की मुख्यमंत्री सौर स्वरोज़गार योजना 19
- ऑपरेशन सद्भावना के तहत टेंट आधारित होमस्टे 20
- नक्षत्र सभा: उत्तराखंड में खगोल-पर्यटन 20

नोट :

उत्तराखंड

'खाकी में स्थितप्रज्ञ' रिलीज़

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने **उत्तराखंड के पूर्व DGP अनिल रतूड़ी** द्वारा लिखित पुस्तक ***खाकी में स्थितप्रज्ञ का विमोचन किया।***

मुख्य बिंदु

- **पुस्तक विमोचन:**
  - देहरादून के **IRDT सभागार** में **मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी** ने ***खाकी में स्थितप्रज्ञ*** नामक पुस्तक का विमोचन किया।
  - यह पुस्तक अनिल रतूड़ी के IPS अधिकारी के रूप में कार्यकाल के दौरान के उनके **संस्मरणों और अनुभवों पर आधारित है।**
  - यह पुस्तक रतूड़ी द्वारा साढ़े तीन दशकों में सामना की गई चुनौतियों, अनुभवों और स्मृतियों को प्रस्तुत करती है।
  - इसका उद्देश्य **नए पुलिस अधिकारियों को धैर्य, दृढ़ संकल्प और समर्पण के माध्यम** से चुनौतियों का सामना करने में सहायता प्रदान करना है।

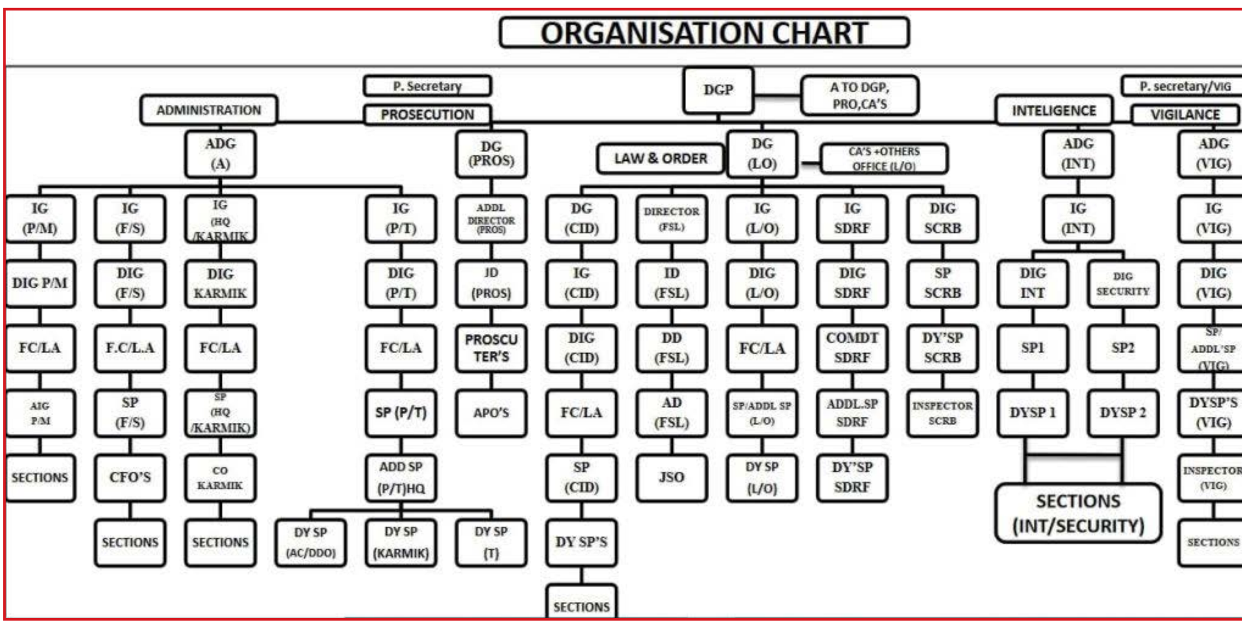

रोज़गार वृद्धि में उत्तराखंड अग्रणी

चर्चा में क्यों ?

नवीनतम **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey- PLFS)**, 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार, उत्तराखंड सरकार ने **बेरोज़गारी** कम करने में काफी प्रगति की है।

प्रमुख बिंदु

- **बेरोज़गारी दर में गिरावट:**
  - समग्र बेरोज़गारी **4.5% से घटकर 4.3%** हो गयी।
  - सबसे उल्लेखनीय कमी **15-29 आयु वर्ग** में हुई, जो **14.2% से घटकर 9.8%** हो गई।
- **श्रमिक जनसंख्या अनुपात में सुधार:**
  - वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में सभी आयु समूहों में श्रमिक जनसंख्या अनुपात में वृद्धि होगी।
  - **15-29 वर्ष की आयु के लिये: 27.5%** से बढ़कर **44.2%** हो गया।
  - **15-59 वर्ष की आयु के लिये: 57.2%** से बढ़कर **61.2%** हो गया।
  - **15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लिये: 53.5%** से बढ़ाकर **58.1%** हो गया।
- **युवा श्रम बल भागीदारी:**
  - युवाओं (15-29 वर्ष) की श्रम शक्ति में भागीदारी **43.7% से बढ़कर 49%** हो गई।
  - 15-59 आयु वर्ग के लिये श्रम बल भागीदारी **60.1% से बढ़कर 64.4%** हो गई।
  - 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में यह वृद्धि **56% से बढ़कर 60.7%** हो गई।
- **राष्ट्रीय औसत से आगे निकलना:**
  - उत्तराखंड की **15-29 आयु वर्ग** की श्रमिक जनसंख्या का औसत **49%** है, जबकि राष्ट्रीय औसत **46.5%** है।
  - 15-59 वर्ष की आयु के लिये, राज्य में यह दर 64.4% है (राष्ट्रीय औसत : **64.3%**)।
  - 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लिये, उत्तराखंड में यह दर 60.7% है (राष्ट्रीय औसत: **60.1%**)।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट (Periodic Labour Force Survey Report- PLFS)

- **परिचय:** यह भारत में रोज़गार और बेरोज़गारी की स्थिति को मापने के लिये **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)** के तहत NSO द्वारा आयोजित किया जाता है ।
  - इसे **राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (National Sample Survey Office- NSSO)** द्वारा पहले किये गए श्रम बल सर्वेक्षणों की सीमाओं को दूर करने के लिये विकसित किया गया था ।
- **PLFS के दो प्राथमिक उद्देश्य:** इसे रोज़गार और बेरोज़गारी को मापने के दो प्रमुख उद्देश्यों के साथ तैयार किया गया था:
  - **पहला उद्देश्य:** वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (Current Weekly Status- CWS) दृष्टिकोण का उपयोग करके शहरी क्षेत्रों के लिये लघु अंतराल (प्रत्येक तीन माह) पर श्रम बल भागीदारी और रोज़गार की स्थिति की गतिशीलता को मापना।
  - **दूसरा उद्देश्य:** सामान्य स्थिति और CWS मापदंडों का उपयोग करके ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिये श्रम बल अनुमानों को मापना।
- **नमूना डिजाइन और डेटा संग्रह में नवाचार:** NSSO द्वारा आयोजित पिछले पंचवर्षीय सर्वेक्षणों की तुलना में PLFS ने नमूना डिजाइन और जाँच की अनुसूची की संरचना में परिवर्तन किये।
  - PLFS में अतिरिक्त डेटा भी शामिल था, जैसे कि काम किये गए घंटों की संख्या, जिसे NSSO के पहले पंचवार्षिक दौर में एकत्र नहीं किया गया था।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 1822 की क्रांति के शहीदों को किया सम्मानित

चर्चा में क्यों?

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने **200वें बलिदान दिवस** के अवसर पर **1822-24 के कुंजा बहादुरपुर, रुड़की क्रांति** के शहीदों को याद किया।

प्रमुख बिंदु

- **शहीदों को श्रद्धांजलि:**
  - मुख्यमंत्री ने **1822-24 कुंजा बहादुरपुर क्रांति** के 152 शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की ।
  - 1822-24 की क्रांति एक ऐतिहासिक घटना को संदर्भित करती है, जिसमें लोगों ने स्वतंत्रता और न्याय की मांग करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी।
  - **राजा विजय सिंह और सेनापति कल्याण सिंह** जैसी प्रमुख हस्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
  - इस कार्यक्रम के दौरान 1822-24 के शहीदों पर एक पुस्तक का विमोचन किया गया।
  - **मुख्यमंत्री ने बलिदानी स्थल** को **राष्ट्रीय स्मारक** बनाने के प्रयासों की घोषणा की।
  - शहीदों की विरासत को बढ़ावा देने के लिये **शहीद राजा विजय सिंह स्मारक और कन्या शिक्षा प्रसार समिति** के कार्यों की सराहना की।
- **राष्ट्रीय नेताओं को याद करते हुए:**
  - इससे पहले, धामी ने **महात्मा गांधी** को उनकी **155वीं जयंती** और **लाल बहादुर शास्त्री** को उनकी 120वीं जयंती पर सम्मानित किया।
  - उन्होंने **गांधीजी** के सत्य और अहिंसा के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्थायी प्रभाव पर प्रकाश डाला।
- **राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ संरेखण:**
  - स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध भारत के लिये गांधीजी के दृष्टिकोण के अनुरूप, **आत्मनिर्भर भारत** की दिशा में राष्ट्रीय प्रयासों पर प्रकाश डाला गया।

उत्तराखंड में ततैया के हमले से कई लोगों की मौत

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तराखंड में एक दुखद घटना ने **वन्यजीव** संघर्ष के खतरों को उजागर किया, जिसके परिणामस्वरूप **ततैया के हमले** में पिता और पुत्र की मृत्यु हो गई।

मुख्य बिंदु

- **घटना का अवलोकन:**
  - उत्तराखंड के **टिहरी गढ़वाल** ज़िले के जौनपुर ब्लॉक के वनों में अपनी गायों को चराते समय ततैयों के हमले में 47 वर्षीय एक व्यक्ति और उसके आठ वर्षीय बेटे की दुखद मौत हो गई।
- **ततैया और उनके खतरे:**
  - **प्रकार और आक्रामकता:**
    - पीले जैकेट, पेपर ततैया और हॉरनेट सहित ततैया अपने घोंसलों को परेशान किये जाने पर आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं।
    - उनके पास तीक्ष्ण दंश होते हैं, जिनकी सहायता से वे खतरे के समय **कई बार दंश मार** सकते हैं।
- **दंश के प्रभाव:**
  - ततैया के दंश से आमतौर पर तत्काल दर्द, सूजन और उस स्थान पर लालिमा उत्पन्न होती है, क्योंकि उसके विष में **विषैले एंज़ाइम और प्रोटीन** होते हैं।
  - व्यक्तियों को एलर्जी संबंधी प्रतिक्रियाएँ हो सकती हैं, जिनमें पित्ती जैसे हल्के लक्षणों से लेकर गंभीर **तीव्रग्राहिता (एनाफाइलैक्सिस) तक शामिल हो सकते हैं, जिसमें साँस लेने में कठिनाई, सूजन और चेतना की संभावित हानि** शामिल है।

- **एकाधिक दंश और जोखिम:**
  - एकाधिक दंश खासकर संवेदनशील व्यक्तियों में गंभीर प्रणालीगत प्रतिक्रियाओं के जोखिम को काफी हद तक बढ़ा देते हैं।
  - ततैया के दंश से तीव्रग्राहिता (एनाफाइलैक्सिस) हो सकती है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं या मृत्यु को रोकने के लिये तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता होती है।
- **रोकथाम और आपातकालीन प्रतिक्रिया:**
  - दंश से बचने के लिये, चमकीले रंगों और पुष्प पैटर्न से बचना, कीट विकर्षक का उपयोग करना, और घोंसले को हटाने के लिये पेशेवर मदद लेना।
  - दंश लगने की स्थिति में, उस जगह को साफ करना, ठंडी पट्टी लगाना और यदि आवश्यक हो तो दर्द निवारक लेना। गंभीर प्रतिक्रियाओं के लिये तत्काल चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है।

हमले के बाद उत्तराखंड साइबर सुरक्षा समीक्षा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, मैलवेयर हमले के कारण उत्तराखंड के डेटा सेंटर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था, जिसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा साइबर सुरक्षा की समीक्षा की गई थी।

मुख्य बिंदु

- **साइबर हमले की घटना:**
  - मैलवेयर हमले के कारण उत्तराखंड का **राज्य डेटा सेंटर** अस्थायी रूप से बंद हो गया।
  - मुख्यमंत्री ने सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (Information Technology Development Agency-ITDA), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics Centre- NIC) **और पुलिस** जैसे प्रमुख विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
    - मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन सेवाओं की सुरक्षा के लिये **साइबर सुरक्षा टास्क फोर्स** के गठन का आदेश दिया।
  - ऑनलाइन डेटा को सुरक्षित और पुनर्प्राप्त करने के लिये एक आपदा **रिकवरी केंद्र** की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया।
- **साइबर सुरक्षा संवर्द्धन:**
  - मुख्यमंत्री ने राज्य डेटा सेंटर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की **सुरक्षा ऑडिट** के निर्देश दिये।
  - साइबर सुरक्षा में अन्य राज्यों, केंद्रीय मंत्रालयों और एजेंसियों से **सर्वोत्तम प्रथाओं** के अध्ययन और कार्यान्वयन का निर्देश दिया ।
  - **ITDA के तकनीकी कार्य** की समीक्षा करने तथा लापरवाही पाए जाने पर संभावित कार्यवाही का आदेश दिया गया।
- **कार्मिक एवं प्रशिक्षण:**
  - ITDA में कार्मिकों के रिक्त पदों को भरने तथा कर्मचारियों को **साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण** प्रदान करने के निर्देश दिये गए।
  - भविष्य में होने वाली घटनाओं को रोकने के लिये प्रत्येक सरकारी कार्यालय में एंटी-वायरस सिस्टम को अद्यतन करना सुनिश्चित किया गया।
- **क्षति नियंत्रण:**
  - वर्चुअल मशीनों पर मैलवेयर हमले से कोई डेटा हानि की सूचना नहीं मिली।
  - **1378 मशीनों** में से **11 प्रभावित** हुईं।
  - ई-ऑफिस **और CM हेल्पलाइन** जैसी साइटें पहले ही बहाल कर दी गई हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (Information Technology Development Agency-ITDA)

- **सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (ITDA) उत्तराखंड सरकार** के अधीन एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय है।
- इसका प्राथमिक मिशन उत्तराखंड में **सूचना प्रौद्योगिकी (IT)** क्षेत्र के विकास को गति देना और पूरे राज्य में **ई-गवर्नेंस परियोजनाओं** को लागू करना है।
- ITDA सरकारी विभागों को सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित इनपुट और सहायता प्रदान करता है, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देता है, सूचना प्रौद्योगिकी मानव संसाधन विकास को सुविधाजनक बनाता है, तथा प्रौद्योगिकी में नवाचार को प्रोत्साहित करता है।
- इसके अलावा, यह **सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं (ITeS), सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT)** और **इलेक्ट्रॉनिक्स** से संबंधित कार्य भी करता है।

चौखंबा III पर पर्वतारोहियों का बचाव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में दो विदेशी पर्वतारोहियों, **मिशेल थेरेसा ड्वोरक (अमेरिका) और फे जेन मैनर्स (ब्रिटेन)** को उत्तराखंड के **चमोली ज़िले** में **चौखंबा III चोटी** के निकट **6,015 मीटर की ऊँचाई** से बचाया गया ।

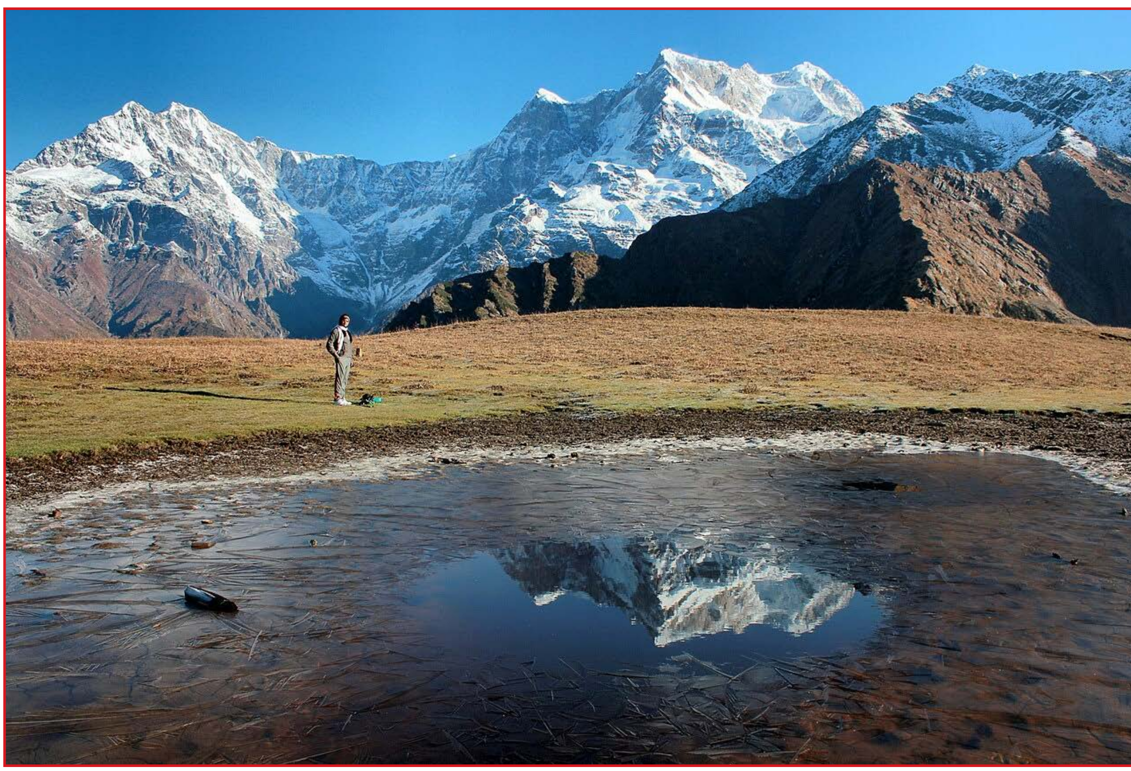

मुख्य बिंदु

- **चौखंबा:**
  - यह भारत के उत्तराखंड के **गढ़वाल हिमालय के गंगोत्री समूह** में **बद्रीनाथ** के पश्चिम में स्थित एक पर्वत शृंखला है। इसमें उत्तर-पूर्व-दक्षिण-पश्चिम रिज के साथ चार शिखर हैं:

- चौखंबा I: 7,138 मीटर (23,419 फीट)
- चौखंबा II: 7,070 मीटर (23,196 फीट)
- चौखंबा III: 6,995 मीटर (22,949 फीट)
- चौखंबा IV: 6,854 मीटर (22,487 फीट)

- यह पर्वत गंगोत्री ग्लेशियर के शीर्ष पर स्थित है, जो समूह का पूर्वी आधार है तथा इसकी सबसे ऊँची चोटी **चौखंबा I, गंगोत्री शृंखला की सबसे ऊँची चोटी है ।**

चमोली ज़िला

- चमोली भारत के उत्तराखंड राज्य का एक जिला है, जिसका प्रशासनिक मुख्यालय **गोपेश्वर में स्थित है।**
- यह **उत्तर में तिब्बत** और उत्तराखंड के कई ज़िलों से घिरा है, जिनमें पिथौरागढ, बागेश्वर, अल्मोडा, पौडी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी शामिल हैं।
- चमोली कई **धार्मिक और पर्यटन स्थलों** जैसे **बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी के लिये प्रसिद्ध है।**
- ऐतिहासिक दृष्टि से, **चमोली चिपको आंदोलन** के जन्मस्थान के रूप में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है, जो एक अग्रणी पर्यावरण अभियान था।

गंगोत्री ग्लेशियर

- गंगोत्री ग्लेशियर **उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले** में स्थित है।
- गंगोत्री **ग्लेशियर गढ़वाल हिमालय में चौखंबा पर्वतमाला की** उत्तरी ढलान से निकलता है। यह लगभग **30 किमी. लंबा और 0.5 से 2.5 किमी.** चौड़ा है।
- गंगोत्री एक घाटी ग्लेशियर नहीं है, बल्कि कई अन्य हिमनदों का एक संयोजन है। इस ग्लेशियर में तीन मुख्य सहायक नदियाँ शामिल हैं, जिनके नाम हैं **रक्तवरन (15.90 किमी.), चतुरंगी (22.45 किमी.) और कीर्ति (11.05 किमी.) और 18 से अधिक अन्य सहायक ग्लेशियर।**
- गंगा की मुख्य सहायक नदियों में से एक भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से प्रवाहित होती है। **गंगा** की पाँच मुख्य धाराएँ हैं - **भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, धौलीगंगा और पिंडर,** ये सभी उत्तरी उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र से निकलती हैं।

उत्तराखंड में 6,500 फीट की ऊँचाई पर देखा गया मोर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तराखंड के **बागेश्वर ज़िले** में **6,500 फीट** की असामान्य ऊँचाई पर **मोर** देखे गए, जो बढ़ती मानवीय गतिविधियों के कारण **पारिस्थितिक परिवर्तन** का संकेत है।

मुख्य बिंदु

- आमतौर पर 1,600 फीट की ऊँचाई पर दिखने वाला मोर, **काफलीगैर** (अप्रैल) और **कठायतबारा** (अक्तूबर) वन शृंखलाओं में देखा गया।
  - विशेषज्ञों का मानना है कि मानवीय विस्तार के कारण अधिक ऊँचाई पर **गर्म परिस्थितियाँ** इस पक्षी के **ऊँचाई की ओर प्रवास** का कारण हो सकती हैं।
  - **भारतीय वन्यजीव संस्थान (Wildlife Institute of India- WII)** के विशेषज्ञों का सुझाव है कि यह **मौसमी बदलाव** हो सकता है, क्योंकि सर्दियों का निम्न तापमान पक्षी को पीछे हटने के लिये प्रेरित कर सकता है।

मोर

- 'पीफाउल', मोर की विभिन्न प्रजातियों का सामूहिक नाम है। नर मोर को 'पीकॉक' (Peacock) कहा जाता है, जबकि मादा मोर को 'पीहेन' (Peahen) कहा जाता है।
  - मोर **भारत का राष्ट्रीय पक्षी** भी है।
  - मोर (पावो क्रिस्टेटस) **फासियानिडे परिवार** से संबंधित है। ये उड़ने वाले सभी पक्षियों में सबसे बड़े हैं।
    - 'फासियानिडे' एक 'तीतर' परिवार है, जिसके सदस्यों में जंगली अथवा घरेलू मुर्गी, मोर, तीतर और बटेर शामिल हैं।
  - मोर की दो सबसे अधिक पहचानी जाने वाली प्रजातियाँ हैं:
    - **नीला मोर/भारतीय मोर भारत और श्रीलंका में पाया जाता है।**
    - **हरा या जावाई मोर (पावो म्यूटिकस) म्याँमार (बर्मा) और जावा** में पाया जाता है।
- **पर्यावास:**
  - भारतीय मोर, मूलत: **भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका** के कुछ हिस्सों में पाया जाता है।
  - यह प्रजाति **वर्तमान में सबसे अधिक मध्य केरल में पाई जाती है,** इसके बाद राज्य के दक्षिण-पूर्व और उत्तर-पश्चिम हिस्सों का स्थान है।
    - **वर्तमान में केरल में** तकरीबन **19% क्षेत्र इस प्रजाति का आवासीय क्षेत्र है और यह वर्ष 2050 तक 40-50%** तक बढ़ सकता है।
  - वे वनों के किनारों और कृषियोग्य क्षेत्रों में रहने के लिये अच्छी तरह से अनुकूलित हैं।

उत्तराखंड में जलविद्युत परियोजना को हरित मंजूरी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तराखंड में **फाटा ब्युंग जलविद्युत परियोजना** के लिये नई मंजूरी पर्यावरण, वन और वन्यजीव मंजूरी पर निर्भर है।

मुख्य बिंदु

- **परियोजनाः**
  - यह **रुद्रप्रयाग** में **मंदाकिनी नदी** पर 76 मेगावाट की रन-ऑफ-द-रिवर परियोजना है।
  - वर्ष 2013 में **बादल प्रस्फोटन** से आई बाढ़ के दौरान इस परियोजना को अत्यधिक नुकसान हुआ था।
  - **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** ने **वन** एवं **राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (National Board for Wildlife-NBWL)** की मंज़ूरी पर ज़ोर दिया।
- **चिंताएँ:**
  - **हिमनद झील के प्रस्फोटन से आने वाली बाढ़** एक बड़ी चिंता का विषय है।
  - इस स्थल के निकट **24 झीलें** हैं, जिनमें से 6 को गंभीर माना गया है।

मंदाकिनी नदी

- **यह उत्तराखंड में अलकनंदा नदी** की एक सहायक नदी है ।
- यह नदी **रुद्रप्रयाग और सोनप्रयाग** क्षेत्रों के बीच लगभग 81 किलोमीटर तक बहती है और **चोराबाड़ी ग्लेशियर** से निकलती है।
- **मंदाकिनी नदी सोनप्रयाग में सोनगंगा नदी से मिल जाती है** और उखीमठ में मध्यमहेश्वर मंदिर के पास से बहती है।
- अपने मार्ग के अंत में यह **अलकनंदा में गिरती है, जो गंगा में मिल जाती है।**

हिमनद झील के प्रस्फोटन से बाढ़ (Glacial Lake Outburst Flood- GLOF)

- **परिचयः**
  - हिमनद झील के प्रस्फोटन से आने वाली बाढ़ विनाशकारी होती है, यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब हिमनद झील का बाँध कमज़ोर हो जाता है और जल तेज़ प्रवाह के साथ बहने लगता है।
  - इस प्रकार की बाढ़ आमतौर पर हिमनदों के तेज़ी से पिघलने, अत्यधिक वर्षा, झील में जल के बढ़ने के कारण आती है।
    - फरवरी 2021 में **उत्तराखंड के चमोली ज़िले में अचानक बाढ़** आई, जिसके बारे में संदेह है कि यह GLOF के कारण आई थी।
- **कारणः**
  - ये बाढ़ अनेक कारकों से उत्पन्न हो सकती है, जिनमें हिमनद के आयतन में परिवर्तन, झील के जल स्तर में परिवर्तन और भूकंप शामिल हैं।
  - **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority- NDMA)** के अनुसार, **हिंदू कुश हिमालय** के अधिकांश भागों में जलवायु परिवर्तन के कारण हिमनदों के पीछे हटने से अनेक नई हिमानी झीलों का निर्माण हुआ है, जो GLOF का प्रमुख कारण हैं।

उत्तराखंड में UCC का क्रियान्वयन

चर्चा में क्यों ?

उत्तराखंड सरकार डिजिटल सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए **समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code- UCC)** को लागू करने के लिये अपने नियमों को अंतिम रूप दे रही है।

प्रमुख बिंदु

- **समिति और रिपोर्टः**
  - समान नागरिक संहिता (UCC) विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन संबंधों से संबंधित है।

- ◆ फरवरी में गठित एक समिति द्वारा 500 पृष्ठों की रिपोर्ट तैयार की गई।
- ◆ विधिक विशेषज्ञों और विधि प्रशिक्षुओं की 130 से अधिक बैठकें आयोजित की गईं।
- ◆ विवाह और लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप से किया जा सकता है।
- ◆ वसीयत (विधिक दस्तावेज़) का दस्तावेज़ीकरण और संशोधन भी डिजिटल रूप से किया जाएगा।
- ◆ **कॉमन सर्विस सेंटर (Common Service Centres- CSC)** सीमित डिजिटल कौशल वाले लोगों की सहायता करेंगे।

- **कार्यान्वयन समयसीमा:**
  - ◆ **उत्तराखंड के स्थापना दिवस** 9 नवंबर 2024 से पहले UCC का क्रियान्वयन अपेक्षित है।

समान नागरिक संहिता

- **समान नागरिक संहिता** भारत के सभी नागरिकों के लिये विवाह, तलाक, गोद लेने, विरासत और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाली विधि के एक समूह को संदर्भित करती है।
- समान नागरिक संहिता की अवधारणा का उल्लेख **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44** में **राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत** के रूप में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिये एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।
- हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि यह विधिक रूप से लागू करने योग्य अधिकार नहीं है, बल्कि राज्य के लिये एक मार्गदर्शक सिद्धांत है।

दशहरे पर मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं का अनावरण किया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने चंपावत में **दशहरा उत्सव** में भाग लिया और क्षेत्र के लिये कई नई विकास परियोजनाओं की घोषणा की।

मुख्य बिंदु

- **विकास परियोजनाओं की घोषणा:** कार्यक्रम के दौरान उन्होंने क्षेत्र में **बुनियादी ढाँचे और सार्वजनिक सेवाओं** में सुधार के उद्देश्य से कई विकास परियोजनाओं की घोषणा की।
  - ◆ प्रमुख पहलों में **सड़क विकास, जलापूर्ति परियोजनाएँ** तथा क्षेत्र की कनेक्टिविटी और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिये स्थानीय सुविधाओं में सुधार शामिल हैं।
- **पर्यटन को बढ़ावा देना:** मुख्यमंत्री ने अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये स्थानीय आकर्षण और बुनियादी ढाँचे को बढ़ाकर चंपावत में पर्यटन को बढ़ावा देने पर सरकार के केंद्र पर ज़ोर दिया।
- **चंपावत के विकास के लिये प्रतिबद्धता:** मुख्यमंत्री ने चंपावत के आर्थिक विकास में तेज़ी लाने के लिये अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई तथा यह सुनिश्चित किया कि यह पर्यटन और व्यापार का केंद्र बने।
- **स्थानीय समुदायों के साथ सहभागिता:** ये घोषणाएँ स्थानीय नेताओं और समुदायों की उपस्थिति में की गईं, जिसमें धामी ने इन परियोजनाओं की सफलता में जन भागीदारी की भूमिका पर प्रकाश डाला।
- **सांस्कृतिक और आर्थिक महत्त्व:** मुख्यमंत्री ने **दशहरा उत्सव के सांस्कृतिक महत्त्व पर ज़ोर देते हुए** इसे क्षेत्र के व्यापक आर्थिक और बुनियादी ढाँचे के विकास से जोड़ा।

दशहरा उत्सव

- दशहरा, जिसे **विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है**, भारत भर में मनाया जाने वाला एक महत्त्वपूर्ण हिंदू त्योहार है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है।

- यह **नवरात्रि के समापन का प्रतीक है**, जो देवी दुर्गा को समर्पित नौ रातों का उत्सव है।
- इस उत्सव में घरों और सार्वजनिक स्थानों को **रोशनी, फूलों और रंगोली से सजाया जाता है।**

रूपकुंड झील: जलवायु परिवर्तन के कारण संकट में

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तराखंड में प्रसिद्ध **रूपकुंड झील**, जो अपने सदियों पुराने मानव कंकालों के लिये जानी जाती है, सिकुड़ रही है क्योंकि **जलवायु परिवर्तन** इसके आकार और **पारिस्थितिकी तंत्र** को प्रभावित कर रहा है।

मुख्य बिंदु

- **रूपकुंड झील:**
  - माना जाता है कि **रूपकुंड** में पाए गए **कंकाल 9वीं शताब्दी** के हैं।
  - **आनुवंशिक अध्ययनों द्वारा** स्पष्ट होता है कि ये व्यक्ति विविध समूहों से आये थे, जिनमें **भूमध्यसागरीय वंश** भी शामिल था।
  - मत बताते हैं कि वे या तो तीर्थयात्री या व्यापारी थे, जो अचानक **ओलावृष्टि** के कारण मारे गए और संभवत: उनकी मृत्यु का कारण भारी ओलावृष्टि थी।
- **रूपकुंड के कंकालों पर वैज्ञानिक अध्ययन:**
  - आधुनिक शोध से अनेक जातियों के **DNA** के निशान मिले हैं, जिनमें से कुछ **19 वीं** शताब्दी के भी हैं, जिससे पता चलता है कि रूपकुंड पर लंबे समय से लोग आते रहे होंगे।
  - शोधकर्त्ताओं का मानना है कि **रूपकुंड** कभी एक पवित्र स्थल था और तीर्थयात्री संभवत: लंबी दूरी की यात्रा करके इस एकांत, **ऊँचाई पर स्थित झील** में अपनी मृत्यु का सामना करते थे।

- **जलवायु परिवर्तन का पर्यावरणीय प्रभाव:**
  - ग्लेशियर के आकार में कमी, **मानसून के पैटर्न** में परिवर्तन और **अनियमित बर्फबारी के कारण रूपकुंड** में जल स्तर में कमी आई है।
  - तापमान और मौसम में परिवर्तन **क्षेत्र के वनस्पतियों एवं जीव-जंतुओं को प्रभावित कर रहे हैं,** जिससे झील के आसपास पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न हो रहा है।
- **पर्यटन एवं संरक्षण चुनौतियाँ:**
  - रूपकुंड का छोटा होता आकार और पर्यावरणीय क्षरण, झील के अद्वितीय इतिहास तथा पारिस्थितिक महत्त्व को संरक्षित करना कठिन बना रहे हैं।
  - इस बात को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं कि अनियंत्रित पर्यटन व अपर्याप्त संरक्षण प्रयासों के कारण जलवायु परिवर्तन से होने वाली क्षति और बढ़ सकती है।

उत्तराखंड में चारधाम परियोजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र ने **सर्वोच्च न्यायालय** को बताया कि उत्तराखंड में चार प्रमुख तीर्थ स्थलों तक संपर्क सुधारने के लिये बनाई गई **चारधाम परियोजना** का 75% कार्य पूरा हो चुका है।

मुख्य बिंदु

- **चारधाम परियोजना:**
  - इस परियोजना में **यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ** को बेहतर संपर्क प्रदान करने के लिये **900 किलोमीटर लंबी बारहमासी सड़क** का निर्माण शामिल है।
  - यह परियोजना रणनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह चीन सीमा के निकटवर्ती क्षेत्रों तक विस्तृत है।
  - नए राजमार्गों से यात्रा आसान और सुरक्षित हो जाएगी, विशेषकर **मानसून और सर्दियों के दौरान,** जब मौजूदा सड़कें भूस्खलन और अवरोधों के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं।
- **निरीक्षण समिति:**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने इससे पहले पर्यावरण संबंधी चिंताओं के समाधान के लिये सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति **ए.के. सीकरी** की अध्यक्षता में एक **निरीक्षण समिति** गठित की थी।
  - समिति ने परियोजना की प्रगति और दिशानिर्देशों के अनुपालन का आकलन करते हुए, अप्रैल 2024 में और **27 अगस्त, 2024 को दो रिपोर्टें** सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी हैं।
- **पर्यावरण संबंधी चिंताएँ और न्यायालय के आदेश:**
  - संवेदनशील **हिमालयी पारिस्थितिकी** तंत्र से संबंधित पर्यावरणीय चिंताओं के कारण इस परियोजना को विरोध का सामना करना पड़ा।
  - **दिसंबर 2021** में, सर्वोच्च न्यायलय ने चारधाम राजमार्ग को **डबल-लेन चौड़ा करने** की अनुमति दी, लेकिन पर्यावरणीय क्षति को कम करने के लिये सीकरी के नेतृत्व वाली समिति पर निगरानी की ज़िम्मेदारी सौंप दी।
  - निरीक्षण समिति को नए सिरे से **पर्यावरणीय प्रभाव आकलन** करने का अधिकार नहीं है, लेकिन वह परियोजना के क्रियान्वयन की निगरानी करती है।
- **सरकारी मंत्रालयों से सहायता:**
  - **समिति को रक्षा, सड़क परिवहन** और **पर्यावरण** मंत्रालयों का पूर्ण समर्थन प्राप्त है .
  - उत्तराखंड **सरकार** और स्थानीय ज़िला मजिस्ट्रेट भी समिति के साथ सहयोग कर रहे हैं।

- **राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान** और **वन अनुसंधान संस्थान (देहरादून)** के प्रतिनिधि पर्यावरण निगरानी तंत्र का हिस्सा हैं।

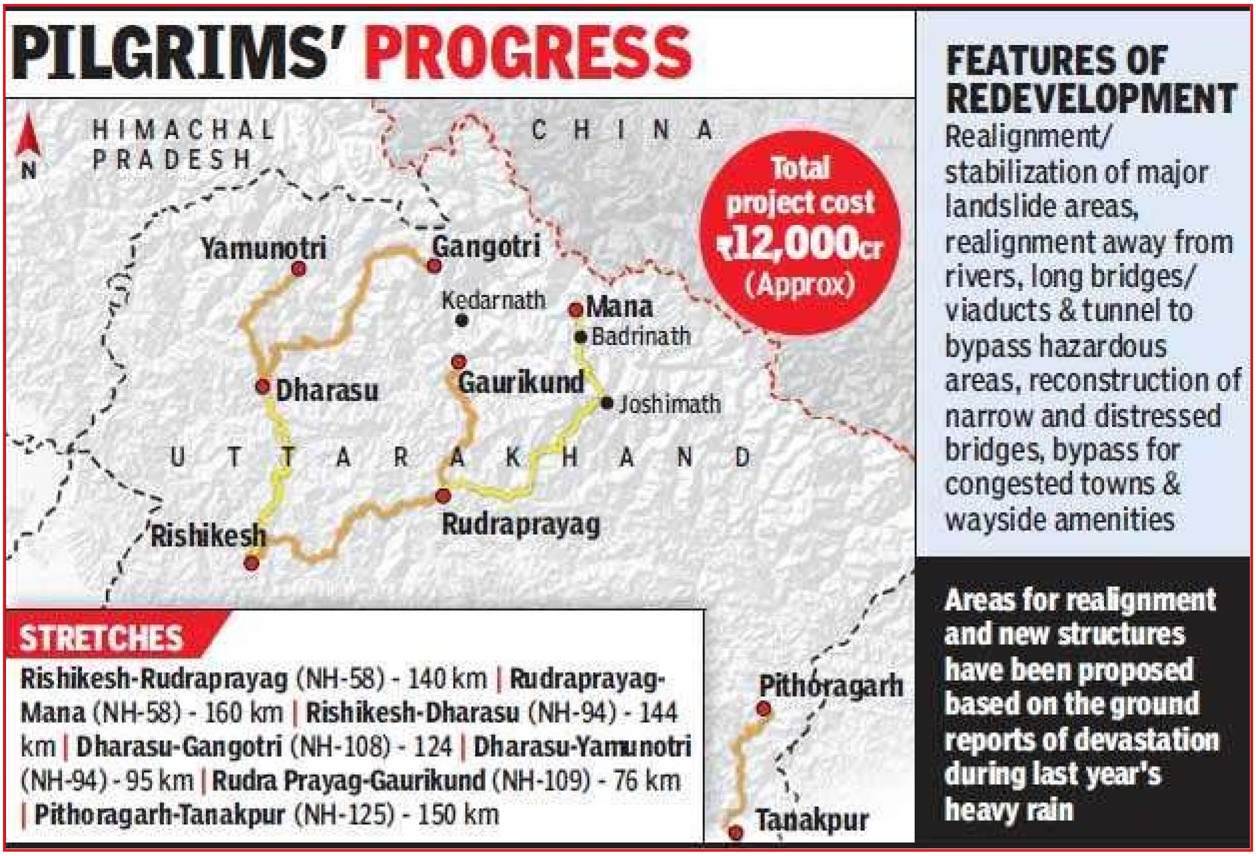

'स्पिट जिहाद' के लिये उत्तराखंड सरकार के दिशानिर्देश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने त्यौहारी सीज़न के दौरान **खाद्य सुरक्षा** को लेकर बढ़ती चिंताओं को दूर करते हुए थूकने (Spit) से होने वाली **खाद्य संदूषण की घटनाओं** पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से नए दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

मुख्य बिंदु

- **सख्त जुर्माने का प्रावधान:** थूकने (Spit) या इसी तरह के अन्य अपराध करके भोजन को दूषित करने वाले अपराधियों पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
  - ये दिशानिर्देश हाल ही में वायरल हुई घटनाओं के बाद जारी किये गए हैं, जिनमें **मसूरी और देहरादून** के वीडियो भी शामिल हैं, जहाँ लोग खाद्य पदार्थों में थूकते (Spit) हुए पकड़े गए थे, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया था।
- **पुलिस सत्यापन और CCTV:** होटलों और भोजनालयों को अब अपने कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया गया है, तथा रसोईघरों में **CCTV कैमरे लगाना भी अनिवार्य** कर दिया गया है।
  - अधिकारी खाद्य सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के बारे में जनता और व्यवसायों को शिक्षित करने के लिये जागरूकता अभियान चलाएंगे।
- **स्वास्थ्य विभाग की भागीदारी: स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा विभाग** सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये भोजनालयों में आकस्मिक निरीक्षण और जाँच में पुलिस की सहायता करेंगे।

- **विधिक कार्यवाही:** अपराधियों पर विभिन्न कानूनी प्रावधानों के तहत आरोप लगाए जा सकते हैं, जिनमें **भारतीय न्याय संहिता (BNS)** और **उत्तराखंड पुलिस अधिनियम, 2007** के तहत सार्वजनिक उपद्रव एवं खाद्य मिलावट से संबंधित धाराएँ शामिल हैं।
- **धार्मिक संवेदनशीलता के प्रति शून्य सहनशीलता:** यदि कृत्य धर्म या सामुदायिक सद्भाव को प्रभावित करता है, तो **BNS धारा 196 (शत्रुता को बढ़ावा देना)** के तहत अतिरिक्त आरोप लगाए जा सकते हैं।

उत्तराखंड में UCC

चर्चा में क्यों ?

उत्तराखंड में प्रस्तावित **समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code- UCC)**, जिसे **राज्य के स्थापना दिवस**, **9 नवंबर** को लागू किये जाने की उम्मीद है, **विवाह और लिव-इन रिलेशनशिप के संबंध में विभिन्न नई विधिक आवश्यकताएँ और दंड लागू करेगी।**

मुख्य बिंदु

- प्रस्तावित **समान नागरिक संहिता का उद्देश्य उत्तराखंड में विधिक प्रथाओं का आधुनिकीकरण करना**, विवाह पंजीकरण, उत्तराधिकार और विधिक प्रक्रियाओं से संबंधित मुद्दों का समाधान करना तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से प्रक्रियाओं को सरल बनाना है।
- **प्रस्तावित कानून के प्रमुख पहलुओं में निम्नलिखित शामिल हैं:**
- **विवाह एवं लिव-इन रिलेशनशिप पंजीकरण:**
  - विवाहित युगलों के लिये समान नागरिक संहिता (UCC) के कार्यान्वयन के छह माह के भीतर अपने विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
  - लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले युगलों को अधिसूचना के एक महीने के भीतर **अपने रिश्ते को पंजीकृत** कराना होगा।
  - इन आवश्यकताओं का पालन न करने पर दंड लगाया जाएगा। जो युगल निर्धारित समय के भीतर अपने विवाह का पंजीकरण नहीं कराते हैं, वे **सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लिये अपात्र** हो जाएंगे।
  - जिन लोगों ने पहले ही अन्य राज्यों में अपनी शादी का पंजीकरण करा लिया है, उन्हें उत्तराखंड में भी अपना रिकॉर्ड अपडेट कराना होगा।
- **गैर-अनुपालन हेतु दंड:**
  - यदि युगल एक महीने के भीतर अपने लिव-इन रिलेशनशिप को पंजीकृत कराने में विफल रहते हैं, तो उन्हें **तीन महीने तक की जेल**, 10,000 रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।
  - गलत जानकारी देने पर तीन महीने तक की जेल या 25,000 रुपए का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।
  - विवाह या लिव-इन रिलेशनशिप को पूरी तरह से पंजीकृत न कराने पर छह महीने तक की जेल या 25,000 रुपए का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।
  - जो मकान मालिक अपंजीकृत युगलों को संपत्ति किराए पर देते हैं तथा जानबूझकर जानकारी छिपाते हैं, उन्हें भी विधिक कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है।
- **बच्चों एवं भरण-पोषण हेतु प्रावधान:**
  - UCC के तहत, लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा हुए किसी भी बच्चे को वैध माना जाएगा।
  - परित्याग के मामले में, **महिला** अपने साथी से **भरण-पोषण का दावा करने की हकदार** होगी।
  - यद्यपि UCC लिव-इन संबंध में रहने वाले युगलों के लिये गोपनीयता सुनिश्चित करता है, लेकिन इसके लिये यह आवश्यक है कि 18 से 21 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के माता-पिता को उनके लिव-इन संबंध के बारे में सूचित किया जाए।
- **संपत्ति अधिकार और उत्तराधिकार:**
  - UCC बुजुर्ग माता-पिता की चिंताओं को दूर करने के लिये उत्तराधिकार की विधियों में बदलाव का प्रस्ताव करती है, जो अपने बच्चों के शहरों में चले जाने के बाद प्राय: खुद को गाँवों में अकेला पाते हैं।

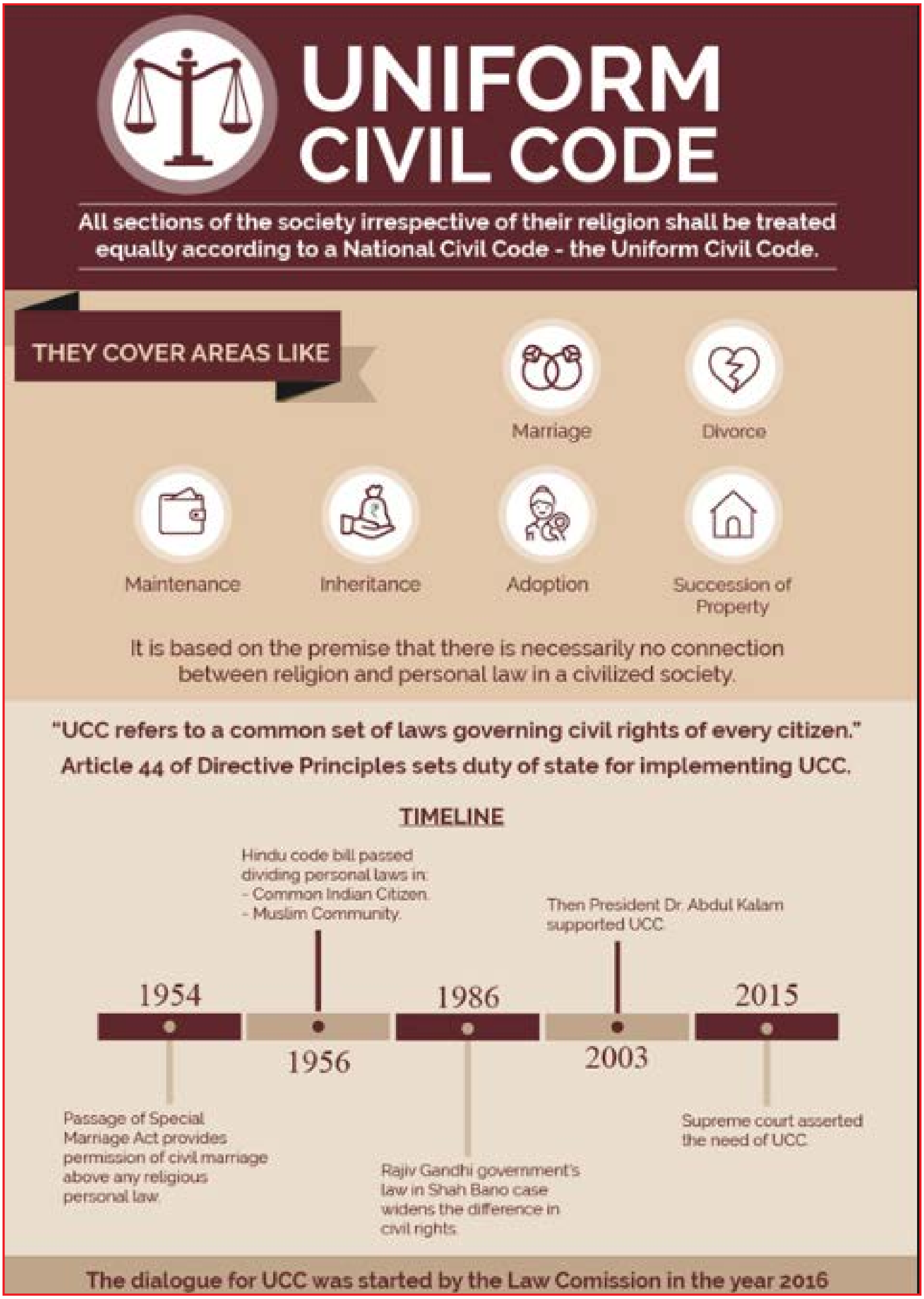
UNIFORM
CIVIL CODE
All sections of the society irrespective of their religion shall be treated equally according to a National Civil Code - the Uniform Civil Code.
THEY COVER AREAS LIKE
Marriage
Divorce
Maintenance
Inheritance
Adoption
Succession of Property
It is based on the premise that there is necessarily no connection between religion and personal law in a civilized society.
"UCC refers to a common set of laws governing civil rights of every citizen."
Article 44 of Directive Principles sets duty of state for implementing UCC.
TIMELINE
1954
Passage of Special Marriage Act provides permission of civil marriage above any religious personal law.
1956
Hindu code bill passed dividing personal laws in: - Common Indian Citizen. - Muslim Community.
1986
Rajiv Gandhi government's law in Shah Bano case widens the difference in civil rights.
2003
Then President Dr. Abdul Kalam supported UCC.
2015
Supreme court asserted the need of UCC.
The dialogue for UCC was started by the Law Comission in the year 2016

- इस कानून में सुझाव दिया गया है कि **मृतक की चल और अचल संपत्ति को चार भागों में विभाजित किया जाए,** जिसमें पत्नी, बच्चों और माता-पिता को हिस्सा आवंटित किया जाए तथा प्रत्येक को एक अलग इकाई माना जाए।
- उत्तराधिकार के संबंध में हज़ारों सुझावों पर विचार किया गया, जिनमें ऐसे मुद्दे भी शामिल थे जिनमें बेटे की मृत्यु के बाद बुजुर्ग माता-पिता को कोई सहारा नहीं दिया गया।

- **विधिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना:**
  - एक नया मोबाइल ऐप विवाह और लिव-इन रिलेशनशिप के लिये पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाएगा। यह **ऐप युगलों को सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता के बिना पंजीकरण करने की अनुमति देगा।**
  - इसके अतिरिक्त, **यह ऐप वसीयत का मसौदा तैयार करने और उसे अद्यतन करने की प्रक्रिया को सरल बना देगा,** जिससे व्यक्तियों के लिये किसी भी समय अपनी वसीयत में परिवर्तन करना संभव हो जाएगा।

उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल 2024

चर्चा में क्यों?

भारतीय ओलंपिक संघ (Indian Olympic Association- IOA) की अध्यक्ष **पी. टी. उषा** ने हाल ही में घोषणा की है कि उत्तराखंड 2024 में राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी करेगा।

प्रमुख बिंदु

- उत्तराखंड पहली बार राष्ट्रीय खेलों के **38 वें संस्करण** की मेज़बानी करेगा। ये खेल अक्तूबर 2024 में आयोजित किये जायेंगे।
- **देहरादून, हलद्वानी और हरिद्वार** सहित उत्तराखंड के विभिन्न शहर कार्यक्रमों की मेज़बानी करेंगे।
- राष्ट्रीय खेल 2024 में 30 से अधिक **खेल विधाएँ** शामिल होंगी।
- **भारतीय ओलंपिक संघ:**
  - IOA भारत में ओलंपिक आंदोलन और राष्ट्रमंडल खेलों का शासी निकाय है।
  - अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (International Olympic Committee- IOC), राष्ट्रमंडल खेल महासंघ (Commonwealth Games Federation- CGF), एशियाई ओलंपिक परिषद (Olympic Council of Asia- OCA) और राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों के संघ (Association of National Olympic Committees- ANOC) के संबद्ध सदस्य के रूप में, IOA देश में खेल प्रशासन और एथलीटों के कल्याण के विभिन्न पहलुओं का प्रबंधन करता है।
  - IOA ओलंपिक खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों और IOC, CGF, OCA और ANOC की अन्य अंतर्राष्ट्रीय बहु-खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले एथलीटों या टीमों के प्रतिनिधित्व की देखरेख करता है।
  - खेलों में भागीदारी के अलावा, IOA ने खेल शिक्षा और ओलंपिक अध्ययन के विकास के लिये विभिन्न हितधारकों के साथ अनेक पहल भी की हैं।
  - **IOA को युवा मामले और खेल मंत्रालय** द्वारा मान्यता प्राप्त है।
- **स्थापना:**
  - इसकी स्थापना वर्ष 1927 में हुई थी तथा सर दोराबजी टाटा इसके संस्थापक अध्यक्ष और डॉ. ए.जी. नोहरेन इसके महासचिव थे।
  - यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 **के तहत एक गैर-लाभकारी संगठन** के रूप में पंजीकृत है।
- **सदस्य:**
  - IOA के सदस्यों में **राष्ट्रीय खेल महासंघ (National Sports Federations- NSF)**, राज्य ओलंपिक संघ, IOC सदस्य और अन्य चुनिंदा बहु-खेल संगठन शामिल हैं।

- ओलंपिक चार्टर के अनुसार, NSF की सदस्यता में ज्यादातर वे NSF शामिल होते हैं जो **ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों, शीतकालीन ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों** के खेल कार्यक्रम में शामिल खेलों को नियंत्रित करते हैं।

- **शासन:**
  - वर्तमान में इसका संचालन राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली **32 सदस्यीय कार्यकारी परिषद** द्वारा किया जाता है।
  - कार्यकारी परिषद के लिये चुनाव प्रत्येक चार वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है।
  - कार्यकारी परिषद के कामकाज में IOA की विभिन्न स्थायी समितियों द्वारा भी सहायता प्रदान की जाती है, जो शासन के विभिन्न पहलुओं में सहायता के लिये विषय-क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ गठित की जाती हैं।

राष्ट्रीय खेल

- **पृष्ठभूमि:** ओलंपिक आंदोलन, जिसने **1920 के दशक** में राष्ट्र का ध्यान आकर्षित किया, में **राष्ट्रीय खेल शामिल** हैं। भारत में **राष्ट्रीय खेलों की** कल्पना सबसे पहले भारतीय ओलंपिक खेलों के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य राष्ट्र में ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देना था।
  - वर्ष 1924 में अविभाजित पंजाब के लाहौर में **भारतीय ओलंपिक खेलों** का **प्रथम संस्करण** आयोजित किया गया।
  - भारतीय ओलंपिक खेलों को वर्ष 1940 में **राष्ट्रीय खेलों** का नाम दिया गया था। इस प्रतियोगिता में कई भारतीय राज्यों के एथलीट विभिन्न खेल विधाओं में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्द्धा करते हैं।
- **उद्देश्य:**
  - ये भारतीय एथलीटों, खेल संगठनों आदि के लाभ के लिये आयोजित किये जाते हैं।
  - **वे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों** के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल बुनियादी ढाँचे के विकास की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करते हैं।
  - इसका उद्देश्य खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिये बड़ी संख्या में युवाओं को आकर्षित करना है।
  - इसका उद्देश्य जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों में खेल संस्कृति को विकसित करना तथा उन्हें स्वस्थ समाज के निर्माण में खेलों के महत्त्व के बारे में शिक्षित करना है।
- **अधिकार क्षेत्र: राष्ट्रीय खेलों** की अवधि और नियम पूरी तरह से **भारतीय ओलंपिक संघ** के अधिकार क्षेत्र में हैं।

देहरादून में लेखकों का गाँव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, उत्तराखंड के देहरादून में "लेखकों का गाँव (राइटर्स विलेज)" नामक एक अनूठी सांस्कृतिक पहल की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय **साहित्यिक** और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है।

प्रमुख बिंदु

- लेखकों का गाँव (राइटर्स विलेज) का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा **27 अक्तूबर**, 2024 को देहरादून के पास थानो में किया जाएगा।
- इसका उद्घाटन **23 अक्तूबर से 27 अक्तूबर, 2024** तक चलने वाले **अंतर्राष्ट्रीय कला, साहित्य और संस्कृति महोत्सव** के साथ हो रहा है।
- पाँच दिवसीय महोत्सव में **65 देशों** के 300 से अधिक लेखक, कलाकार और साहित्यकार भाग लेंगे।
  - इस वैश्विक भागीदारी का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है, जिसमें हिंदी एवं उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- **महत्त्व:**
  - यह महोत्सव **साहित्य अकादमी**, **राष्ट्रीय पुस्तक न्यास** और उत्तराखंड संस्कृति विभाग जैसे संगठनों द्वारा आयोजित विभिन्न सत्रों के माध्यम से साहित्य, भाषा तथा कला पर चर्चा करने का एक मंच होगा ।

- इससे वैश्विक स्तर पर **हिंदी भाषा** को बढ़ावा मिलने के साथ ही **उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत** पर भी प्रकाश पड़ने की उम्मीद है।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (National Book Trust- NBT)

- NBT, **भारत वर्ष 1957 में भारत सरकार (उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय)** द्वारा स्थापित एक सर्वोच्च निकाय है ।
- **NBT के उद्देश्य हैं:**
  - अंग्रेज़ी, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में अच्छे साहित्य का सृजन एवं प्रोत्साहन करना।
  - इस तरह के साहित्य को जनता को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना।
  - पुस्तक सूची प्रकाशित करना, पुस्तक मेले/प्रदर्शनी और सेमिनार आयोजित करना तथा लोगों को पुस्तक के प्रति रुचि रखने वाला बनाने के लिये सभी आवश्यक कदम उठाना।

उत्तराखंड की मुख्यमंत्री सौर स्वरोज़गार योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने **सतत् ऊर्जा** और **ग्रामीण रोज़गार** के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से **सौर** स्वरोज़गार पहल शुरू की है।

मुख्य बिंदु

- **उद्देश्य:**
  - सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से स्थानीय रोज़गार को बढ़ावा देकर **पलायन** को रोकने के लिये बनाया गया है ।
- **कार्यक्रम विवरण:**
  - व्यक्ति सौर संयंत्र **(20-200 किलोवाट) स्थापित कर सकते हैं** और उत्पादित विद्युत **उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL)** को बेच सकते हैं।
  - वित्तीय सहायता में बैंक ऋण तथा **MSME** एवं स्वरोज़गार योजनाओं के अंतर्गत सहायता शामिल है।
- **आर्थिक प्रभाव:**
  - स्थानीय उद्यमियों के लिये आय के अवसरों को प्रोत्साहित करना, सतत् प्रथाओं के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाना।

भारत के सौर क्षेत्र की वर्तमान स्थिति

- **परिचय:**
  - भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत वाला देश है। सौर ऊर्जा क्षमता में भारत पाँचवें स्थान पर है (REN21 नवीकरणीय ऊर्जा 2024 वैश्विक स्थिति रिपोर्ट)।
  - COP26 में, भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा प्राप्त करने का संकल्प लिया, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार योजना पंचामृत पहल का हिस्सा है।
- **सौर ऊर्जा विकास:**
  - पिछले 9 वर्षों में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 30 गुना बढ़ गई है, जो अगस्त 2024 में 89.4 गीगावाट तक पहुँच जाएगी।
  - भारत की सौर क्षमता 748 GWp (राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, NISE) होने का अनुमान है।
- **निवेश और FDI:**
  - **विद्युत अधिनियम, 2003** के अंतर्गत, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और वितरण परियोजनाओं के लिये स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)** की स्वीकृति प्रदान की गई है।

ऑपरेशन सद्भावना के तहत टेंट आधारित होमस्टे

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **उत्तराखंड के पिथौरागढ़** में **ऑपरेशन सद्भावना** के तहत एक टेंट-आधारित होमस्टे का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य **पर्यटन को बढ़ावा** देना और स्थानीय सामुदायिक संबंधों को मज़बूत करना है ।

मुख्य बिंदु

- **ऑपरेशन सद्भावना :**
- **भारतीय सेना** की यह पहल नागरिक-सैन्य संबंधों में सुधार, सद्भावना को बढ़ावा देने और सीमावर्ती क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने पर केंद्रित थी।
- **होमस्टे अवधारणा :**
- टेंट आधारित आवास पर्यटकों को एक अनूठा अनुभव प्रदान करते हैं, तथा रणनीतिक सीमावर्ती ज़िले पिथौरागढ़ में इको-पर्यटन को बढ़ावा देते हैं।
- पर्यटन से संबंधित रोज़गार में समुदाय के सदस्यों को शामिल करके स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना।
- **महत्त्व :**
- सेना और सीमावर्ती समुदायों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक जुड़ाव को मज़बूत करता है, सुरक्षा और आपसी विश्वास को बेहतर करता है।

ऑपरेशन सद्भावना

- यह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में आतंकवाद से प्रभावित लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये भारतीय सेना की एक पहल है।
- यह ऑपरेशन आतंकवाद रोधी रणनीति का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को खत्म करना और 'आवाम' को राष्ट्रीय मुख्यधारा में पुनः शामिल करना है।

नक्षत्र सभा: उत्तराखंड में खगोल-पर्यटन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तराखंड में **खगोल-पर्यटन** और स्थानीय विरासत को बढ़ावा देने के लिये नक्षत्र सभा का शुभारंभ किया गया ।

प्रमुख बिंदु

- **इवेंट अवलोकन :**
- **उत्तराखंड पर्यटन** विकास बोर्ड के सहयोग से स्टारस्केप्स द्वारा आयोजित नक्षत्र सभा, एक वर्ष तक चलने वाली गहन खगोल-पर्यटन कार्यक्रमों की शृंखला है।
- इस पहल में आकाशीय अवलोकन, **खगोल फोटोग्राफी सत्र** और विभिन्न **अंधेरे आकाश स्थानों** पर सांस्कृतिक विसर्जन शामिल हैं।
- **सांस्कृतिक एकीकरण :**
- प्रत्येक संस्करण में क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक महत्त्व तथा खगोल विज्ञान और स्थानीय विरासत के बीच अंतर्संबंध पर प्रकाश डाला जाता है।
- इन कार्यक्रमों का उद्देश्य खगोल विज्ञान को सुलभ और आकर्षक बनाना तथा सभी आयु वर्ग के प्रतिभागियों में रुचि बढ़ाना है।
- यह कार्यक्रम **उत्तराखंड की समृद्ध परंपराओं** और खगोल विज्ञान से इसके ऐतिहासिक संबंधों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है।

- **सामुदायिक भागीदारी :**
- स्थानीय समुदायों को इसमें भाग लेने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को समर्थन मिलेगा।
- प्रतिभागी खगोल विज्ञान और संस्कृति के विशेषज्ञों द्वारा निर्देशित तारा-दर्शन सत्रों, कार्यशालाओं और चर्चाओं में भाग ले सकते हैं।

उत्तराखंड पर्यटन नीति

- **निवेश प्रोत्साहन:**
- नई पर्यटन नीति का उद्देश्य न्यूनतम परियोजना लागत 5 करोड़ रुपए निर्धारित करके निवेश आकर्षित करना, अज्ञात क्षेत्रों में 50% तक सब्सिडी प्रदान करना तथा हेली पर्यटन और साहसिक गतिविधियों जैसी पहलों के लिये 100% सब्सिडी प्रदान करना है।
- **शहरों का वर्गीकरण:**
- शहरों को अलग-अलग सब्सिडी दरों के साथ तीन श्रेणियों (A, B और C) में विभाजित किया गया है: श्रेणी A में 25%, श्रेणी B में 35% और श्रेणी C में 50% तक, साथ ही स्टांप शुल्क से छूट भी।
- **विविध प्रोत्साहन:**
- होटल, साहसिक खेल और पर्यावरण अनुकूल परिवहन विकल्पों सहित विभिन्न पर्यटन उपक्रमों के लिये वित्तीय प्रोत्साहन की पेशकश की जाती है, जिसका उद्देश्य नए रोज़गार के अवसर उत्पन्न करना और धारणीय पर्यटन को बढ़ावा देना है।

✦ ✦ ✦ ✦